अध्याय 16

नगरीय प्रशासन की अच्छी कार्य प्रणालियां

16.1 नगरीय क्षमता विकास का महत्वपूर्ण गुण एक दूसरे से अच्छी–अच्छी बातें, अच्छी–अच्छी प्रणालियों को सीखना, उन्हें आत्मसात करना तथा शहरों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उनका यथा सम्भव उपयोग करना है। अभी हाल के वर्षो में इन अच्छी प्रणालियों के अभिलेखन और उनके प्रचार–प्रसार में वृद्धि हुई है। इस प्रकार पूरे विश्व के नगरीय निकाय नागरिक जीवन की गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिये वित्तीय प्रबन्धन और प्रभावी सेवा प्रदाय सहित नगरीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को समुन्नत करने के लिये प्रयास रत हैं।

16.2 **संयुक्त** राष्ट्र संघ 'हेबीटेट' ने इन अच्छी प्रणालियों का 'डाटाबेस' विकसित किया है और यह सब के लिये सुलभ है। सर्वोत्तम नगरीय प्रणालियों के लिये वर्ष 1995 से दिये जा रहे 'दुबई अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड' में विश्व के 150 देशों की अच्छी प्रणालियां संग्रहित हैं। अमेरिका के मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी ने पर्यावरण संरक्षण तथा आवास इत्यादि जैसी अन्य सेवाओं सहित जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम नगरीय प्रणालियों का संकलन किया है। विश्व बैंक के निर्देशन में टिम कैम्पबेल और हेराल्ड फुहर ने राजकोषीय प्रबन्धन तथा स्थानीय संसाधन प्रबन्धन, सहभागी बजट प्रबन्ध तथा जनसेवा प्रदाय के संबंध में दक्षिण अमरीकी देशों की अच्छी प्रणालियों का अभिलेखन किया है। राज्य के नगरीय निकायों को इन सबका अध्ययन करके लाभ उठाना चाहिये।

भारतीय मामले

16.3 बारहवें वित्त आयोग ने वित्त व्यवस्था एवं करारोपण, लेखा एवं अंकेक्षण तथा प्रोत्साहन अनुदान के क्षेत्र में ग्रामीण स्थानीय निकायों की सर्वोत्तम प्रणालियों का संकलन और अभिलेखन करके उन्हें अपनाये जाने की अनुशंसा की है। (कंडिका 8.18 और 19)। यशवन्त राव चण्हाण विकास प्रशासन अकादमी ने तेरहवें वित्त आयोग के लिये आउटसोर्सिंग तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी, एक्अुरल लेखा पद्धति, जवाबदेही तथा नागरिक अधिकारों, गंदी बस्ती विकास, कोषों और कार्या एवं कर्मचारियों के अंतरण तथा

नगरपालिका के वित्तीय आंकड़ों के संधारण आदि उपायों के द्वारा संसाधन दोहन तथा व्यय के क्षेत्र में नगरपालिकाओं की अहम् प्रणालियों का अध्ययन किया था। इस अध्ययन के अंतर्गत नगरीय विकास कोष के जरिये नगरीय अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में तमिलनाडु के अनुभवों, नगरीय स्थानीय निकायों को शक्तियों के अंतरण के क्षेत्र में केरल के अनुभवों, हुबली धारवाड में शिकायत निवारण के लिये अहर्निश (24 घंटे सातों दिन) शिकायत निवारण केन्द्र संचालन के अनुभवों का अभिलेखन किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग ने यह महसूस किया है कि अपना विकास करने के लिये नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इन प्रणालियों का अनुसरण किया जाना लाभप्रद होगा। (कंड़िका 10.78)। सर्वोत्तम नगरीय पद्धतियों के संकलन और उनके प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भारत में अभी हाल में विकसित हुई है। शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं नगरीय गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने इस संबंध में देश में विकसित की गई परम्पराओं का संकलन करके उन्हें प्रकाशित किया है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए.एस.सी.आई.) के सहयोग से देश में जल प्रबन्धन के क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रणालियों को प्रकाश में लाकर उन्हें सम्मानित करने के लिये "नेशनल अरबन वाटर अवार्ड" की स्थापना की है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र की अच्छी परम्पराओं पर सूचनाओं का व्यापक भण्डार अध्ययन के लिये विद्यमान है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में न. पा. के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के ज्ञान संवर्धन के लिये इन अध्ययन ग्रन्थों और संकलनों का उनके मध्य व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाये जिससे वे इन सर्वोत्तम प्रणालियों और परम्पराओं से परिचित होकर यथा आवश्यकता लाभकारी ढंग से उनका उपयोग कर सकें।

16.4 नगरीय प्रशासन राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.यू.ए.) ने नगरीय सम्पति कर में सुधार की सर्वोत्तम प्रणालियों का संकलन प्रकाशित किया है। इसमें अहमदाबाद, बंगलुरू, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, इन्दौर, कोलकाता, लुधियाना, पटना और पुणे के नगर निगमों द्वारा सम्पत्ति कर में सुधार के लिये अपनाई गई प्रणालियां संकलित है।

16.5 विश्व बैंक, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग संघ ने जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, परिवहन तथा अन्य संबंधित विषयों को समाहित करते हुए नगरीय अधोसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणालियों के संकलनों का प्रकाशन

किया है। इनमें अन्य सर्वोत्तम प्रणालियों के साथ--साथ अलन्दुर की सीवरेज परियोजना, नागपुर की जलप्रदाय परियोजना, बायो मेडिकल ठोस अपशिष्ट शोधन के लिये सूरत में की गई केन्द्रीय व्यवस्था, इन्दौर के बहु मंजिला पार्किंग और वाणिज्यिक परिसरों, देहरादून के बस टर्मिनल, नासिक की सड़क प्रकाश व्यवस्था, तिमारपुर ओखला की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु एकीकृत न.पा.परियोजना आदि का समावेश है।

16.6 योजना आयोग तथा संयुक्तराष्ट(यू.एन.डी.पी.) ने भारत के विभिन्न राज्यों में सफल प्रशासन के लिये उठाये गये कदमों और वहां अपनाई गई सर्वोत्तम प्रणालियों के कई संग्रह प्रकाशित किये हैं। इसमें पंजाब मे न.पा. प्रबन्धन तथा क्षमता संवर्धन, तमिलनाडु में महिला सशक्तिकरण, और केरल में गरीबी उन्मूलन की सहभागिता आदि जैसे विषय भी शामिल हैं। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (हैदराबाद) ने विभिन्न नगरों में जलप्रदाय, सेनीटेशन तथा अन्य न.पा. सेवाओं के क्षेत्र में प्रभावकारी नगरीय प्रशासन के लिये सूचना एवं संवाद तकनीक के उपयोग तथा हैदराबाद में ई. सेवा के जरिये बिलिंग और वसूली, बायोमेट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम तथा जबलपुर नगर निगम की नागरिक सेवा के समुन्नयन आदि पर संकलन प्रकाशित किया है।

छत्तीसगढ़ में अच्छी नगरीय प्रणालियां

16.7 छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरों के गरीब लोगों तथा झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के रहवासियों के घरों तक जल आपूर्ति प्रदान करने के लिये भागीरथी नल जल योजना प्रारम्भ की है। जल आपूर्ति के लिये नल कनेक्शन की यह एक ऐसी आर्थिक सहायता प्राप्त सब्सीडाइज्ड योजना है जिसका पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्र में कियान्वयन किया जा रहा है तथा जिसने समूचे नगरीय समुदाय विशेषकर गरीब वर्ग का ध्यान आकर्षित किया है। कोरबा न.पा.निगम ने वर्ष 2010 में सम्पत्ति कर के मामले में सुधार किये है। रायपुर न.पा. निगम ने विरोध के बावजूद विज्ञापन कर नीति में संशोधन और सुधार किये हैं और वह इस समय इस अनछुये स्त्रोत से पर्याप्त राजस्व दोहन कर रहा है। इससे इस स्त्रोत की ऐसी क्षमता प्रकट हुई है, जिसकी ओर अधिकांश नगरीय निकायों ने ध्यान भी नहीं दिया है। इनमें से कुछ प्रणालियों का वर्णन विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है।

भागीरथी नल जल योजना

16.8 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के 12,28,000 में से केवल 3,43,000 शहरी घरों में आवासीय जल कनेक्शन हैं और वे नलों के जरिये सुरक्षित पेय जल प्राप्त करते हैं। विचार–विमर्श से यह पता चला कि इसका कारण नल कनेक्शन का भारी भरकम खर्च और उलझाव वाली प्रक्रिया है। इन कारणों का पता लग जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2009 में भागीरथी नल जल योजना प्रारम्भ की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग तीन लाख नगरीय विपन्न परिवारों के घरों तक निःशुल्क नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर नगरीय क्षेत्रों की महिलाओं तथा बच्चों की जीवन दशा में सुधार करना है जिससे जल प्राप्ति के लिये उन्हें भाग दौड़ और परेशानी न उठाना पड़े तथा साथ ही साथ जल आपूर्ति के सार्वजनिक पनघटों में पानी की बर्बादी की भी रोकथाम की जा सके। उम्मीद की जाती है कि इस योजना के कियान्वयन के फलस्वरूप महिलाओं के आत्म सम्मान में वृद्धि होगी तथा उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

योजना का कियान्वयन

16.9 यद्यपि इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के घरों तक नल कनेक्शन का विस्तार किया जाना है, तथापि इसकी पात्रता का मानदण्ड निर्धारित करने की स्वतंत्रता नगरीय निकायों को दी गई है। नल का कनेक्शन दिये जाने पर जो पूंजीगत लागत आती है, उसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति कनेक्शन तीन हजार रूपयों की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक खर्चे के आधार पर की जाती है। एक बार नल का कनेक्शन दे दिये जाने के बाद हितग्राही को प्रतिमाह उपभोक्ता प्रभार का भुगतान करना पड़ता है। महापौर/अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कियान्वयन समिति के मार्गदर्शन में इस कार्य के लिये गंदी बस्ती के चयन का दायित्व स्थानीय निकाय को सौंपा गया है। इस योजना के अंतर्गत नल कनेक्शन पाने के लिये आवेदक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस कनेक्शन के लिये सम्पति/मकान के टाइटिल की जरूरत नहीं है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को इस योजना के कियान्वयन के लिये 'नोडल एजेन्सी' बनाया गया है। प्राप्त आवेदनों को स्थानीय निकाय को कोष की प्रतिपूर्ति के लिये 'सूडा' के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। राज्य के 110 नगरीय निकायों में वर्तमान समय तक 1,27,812 नल

कनेक्शन दिये जा चुके हैं। कुछ नगरीय निकायों में इसके कियान्वयन की गति धीमी है। पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण कुछ स्थानों में यह योजना प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। इस योजना का दीर्घकाल तक टिका रहना प्रभावपूर्ण बिलिंग और राजस्व संग्रहण व्यवस्था पर निर्भर है। भिलाई नगर पालिक निगम इस योजना के कियान्वयन में अग्रणी तथा अनुकरणीय है। इस योजना के प्रभावी कियान्वयन और शहरी गरीबों तक जल प्रदाय कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये भिलाई न.पा. निगम को वर्ष 2010 में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से 'राष्ट्रीय नगरीय जल पुरस्कार' प्राप्त हो चुका है। इस योजना को जल प्रदाय के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रणाली माना जा सकता है। भिलाई के नगर पालिक निगम की उपलब्धि **बाक्स नंबर 16.1** में प्रस्तुत है।

बाक्स – 16.1

भिलाई नगर पालिक निगम में भागीरथी योजना

भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 6.25 लाख से अधिक है। वर्ष 2008 में जल संवर्धन परियोजनाओं के पूर्ण होने के पूर्व यहां की शहरी जनसंख्या मुख्य रूप से सार्वजनिक जल वितरण व्यवस्था पर निर्भर थी। निजी कनेक्शन बहुत सीमित थे। 1 लाख 50 हजार में से केवल 8000 घरों में निजी नल कनेक्शन था। झुग्गी झोपड़ियों के रहवासी तथा कमजोर वर्गों के लोग सार्वजनिक जल वितरण व्यवस्था, हैण्ड पम्पों, टैंकरों तथा बोरवेल आदि पर निर्भर थे । उन्हें पेय जल पाने के लिये बहुत कष्ट उठाना पड़ता था।

भिलाई न.पा. निगम ने इस योजना का लाभ उठाया।उसने सघन अभियान चलाकर नियमित कनेक्शनों के साथ ही कमजोर और गरीब तबके के लोगों को इस योजना के तरह कनेक्शन देने के लिये कदम उठाये। महापौर की अध्यक्षता में कियान्वयन समिति गठित की गई। न.पा. निगम आयुक्त तथा मेयर इन कौंसिल के सदस्य इस समिति के सदस्य बनाये गये। इस समिति ने सभी गंदी बस्तियों में बिना किसी वरीयता क्रम के इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया। भिलाई न.पा. निगम ने यह निर्णय लिया कि 800 वर्ग फुट तक के निर्मित क्षेत्र वाले सभी मकान, जिन पर कांक्रीट की छत नहीं है, इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन पाने के हकदार हैं। अतिक्रमण करके बनवायें घर भी इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन पाने के हकदार हैं परंतु इस कनेक्शन के आधार पर उन्हें उक्त जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। भिलाई न.पा. निगम ने स्ट्रैप सैडल टेक्नालाजी और हाई डेनसिटी पोलिथिलिन (एच.डी.पी.ई.) पाइपों का उपयोग करते हुए वाटर मीटर सहित कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर दो ठेकेदार नियुक्त किये हैं।

भिलाई न.पा. निगम को नल कनेक्शन के लिये लगभग 28000 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 24000 आवेदनों को योजना के अंतर्गत लिया गया है। इनमें से 8,600 से अधिक कनेक्शन दिये जा चुके हैं और अन्य 10,000 कनेक्शनों को अनुमोदन दे दिया गया है। भिलाई न.पा. निगम का लक्ष्य अगले एक वर्ष में लगभग 2.50 लाख लोगों के लिये 50,000 अतिरिक्त कनेक्शन देने का है। उसने इस हेतु राज्य सरकार से रु. 15 करोड़ की सब्सीडी देने का अनुरोध किया है।

इस योजना के कियान्वयन के फलस्वरूप प्रभार शुल्क के रूप में भिलाई न.पा. निगम के राजस्व में वृद्धि हुई है दूसरी ओर टैंकरों से जल आपूर्ति का खर्च बहुत कम हो गया है। वर्ष 2006–07 में टैंकरों से जल आपूर्ति पर जो खर्च रू. 114 लाख का था, वह घटकर 2011–12 में केवल रू. 15.5 लाख का रह गया है। इससे जन संतोष बढ़ रहा है,सार्वजनिक नलों में पानी को लेकर जो झगड़ा होता था, उससे मुक्ति मिली है। परिचालन और लागत व्यय को पूरा करने में न.पा. निगम की क्षमता में वृद्धि हुई है। पानी के लिये शिकायतों की संख्या में कमी आई है। इस योजना के प्रति जन साधारण तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिसाद सकारात्मक और उत्साहवर्धक है।

कोरबा में सम्पत्ति कर सुधार

16.10 कोरबा न.पा. निगम सक्षम सम्पत्ति कर प्रबन्धन अर्थात् सम्पत्ति कर का पुनरीक्षण करने, अमूल्यांकित तथा अर्ध मूल्यांकित सम्पत्तियों को चिन्हित करने तथा सम्पत्ति कर के अधिरोपण और संग्रहण के छिद्रों को भरने के मामले में एक बेहतर उदाहरण है। कोरबा न.पा. निगम द्वारा किये गये सुधार कार्यों में सम्पत्तियों का सर्वेक्षण, दिशा निर्देश के अनुसार स्लैब व्यवस्था में परिवर्तन कर की दरों का पुनरीक्षण तथा उसकी वसूली को प्रभावी किये जाने के प्रयास शामिल हैं। उसके इन प्रयासों को गति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जून 2011 में दिशा निर्देश जारी किये जाने के बाद मिली है।

सम्पत्तियों का सर्वेक्षण

16.11 इस सुधार प्रयास का महत्वपूर्ण पहलू वर्ष 2010–11 में नगर के घर–घर में जाकर सम्पत्तियों का नये सिरे से सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के फलस्वरूप 10,000 नये घरों का पता चला। इनमें से लगभग 9,000 मकान सम्पत्ति कर के दायरे में लाये गये। सम्पत्ति कर के मामले में छूट और रियायत कम की गई। इन प्रयासों के फलस्वरूप सम्पत्ति कर की वसूली में वृद्धि हुई, जिसका विवरण **तालिका संख्या 16.1** में दिया गया है। सम्पत्तियों (भवनों और मकानों) को चार भागों में विभाजित किया गया (1) आवासीय (2) वाणिज्यिक (3) सार्वजनिक उपक्रमों के आवासीय मकान और (4) सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक भवन। आवासीय मकानों के लिये सम्पत्ति कर की दर 8 प्रतिशत, वाणिज्यिक भवनों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के आवासीय मकानों के लिये 9 प्रतिशत तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक भवनों के लिये 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

तालिका क्रमांक 16.1

संपत्ति करः सर्वेक्षण

क्र.	विवरण	संपत्तियों की संख्या		अंतर	
		सर्वेक्षण के पूर्व	सर्वेक्षण के बाद	संख्या	प्रतिशत
1	कुल संपत्ति	71784	81828	10044	13.99

2	संपत्ति कर का भुगतान	39940	48811	8871	22.21
3	समेकित कर का भुगतान	12218	24232	12014	98.33
4	संपत्ति कर एवं समेकित कर से छूट	19626	8785	10841	55.24
5	संपत्ति कर में वृद्धि (लाख रु. में)	807.00	2188.77	1381.77	271.22
6	समेकित कर में वृद्धि (लाख रु.में)	90.00	520.02	430.02	477.80

स्त्रोतः कोरबा नगर पालिक निगम

दरों का पुनरीक्षण

16.12 कोरबा नगर पालिक निगम ने छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सम्पत्ति कर की दरों का पुनरीक्षण किया, स्लैब व्यवस्था लागू की तथा विभिन्न स्लैबों के लिये **तालिका 16.2** में दिखाई गई दरें स्वीकार कीं। इसके फलस्वरूप अधिक वार्षिक भाड़ा वाली सम्पत्तियों पर उच्चतर दर से कर की वसूली की गई जिससे सम्पत्ति कर में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई है।

तालिका क्रमांक–16.2

सम्पत्ति कर की पुनरीक्षित दरें

क्रं.	वार्षिक भाड़ा मूल्य	कर का प्रतिशत	2012–13 में प्रत्येक वर्ग में सम्पत्तियों की संख्या	प्रतिशत
1	0–6000	शून्य	24,232	–
2	6001–12000	6	12,419	48.6
3	12001 से 20,000	8	6,270	24.5
4	20,001 से 30,000	10	3,055	11.9
5	30,001 से 50,000	12	2,029	8
6	50,001 से 75,000	15	914	4

7	75,001 से 1,00,000	18	366	1
8	1,00,001 और अधिक	20	500	2

स्त्रोत :– कोरबा नगर पालिक निगम

इन प्रयासों के फलस्वरूप कोरबा नगर पालिक निगम ने सम्पत्ति कर दाताओं की संख्या में 22 प्रतिशत और सम्पत्ति कर से प्राप्त राजस्व में 271 प्रतिशत की वृद्धि की है जैसा कि **तालिका 16.1** से स्पष्ट है। छूट प्राप्त सम्पत्तियों की संख्या 55 प्रतिशत घटा दी गई है तथा समेकित कर देने वालों की संख्या दुगुनी हो गई है।

विज्ञापन शुल्कः रायपुर नगर पालिक निगम

16.13 नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 132 (6)(1) तथा नगर पालिक परिषद् अधिनियम की धारा 127 (6)(1) के अन्तर्गत विज्ञापन कर एक वैकल्पिक कर है। इस कर के सक्षम दोहन के लिये नगरीय स्थानीय निकायों की अपनी–अपनी विधियाँ हैं। नगर पालिक निगमों और कुछ नगर पालिका परिषदों को छोड़कर अन्य निकायों के द्वारा इस कर का दोहन नहीं किया जा रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र में इसकी संभावना बहुत कम है। अतः वहां इसके लिये प्रयास नहीं किये गये हैं। राज्य के सबसे बड़े नगर पालिक निगम रायपुर ने इसकी क्षमता के दोहन का प्रयास किया। रायपुर नगर पालिक निगम ने वर्ष 2009 में करारोपण और संग्रहण की नीति अपनाई। उसने होर्डिंग और खम्भों पर लगे विज्ञापनों से कर संग्रहण प्रारम्भ किया। सम्पत्ति स्वामियों ने इस कर संग्रहण का विरोध किया और कई आपत्तियां की। इन आपत्तियों के निराकरण के लिये वर्ष 2012 में दिशा निर्देश बनाये गये। इन दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक भूमि और खम्भों पर विज्ञापन के लिये लगाई गई होर्डिंग तथा बसों और घाटों पर प्रदर्शित किये गये विज्ञापनों पर कर लगाया गया। निजी भवनों/सम्पत्तियों पर लगाई गई होर्डिंगों पर पुनरीक्षित दर से विज्ञापन कर लगाया गया। यह पुनरीक्षित दर रु.40 प्रति वर्गफुट है । पहले यह दर रु.11.25 प्रति वर्ग फुट थी । रायपुर नगर पालिक निगम होर्डिंग लगी गाड़ियों पर भी रु.136 प्रति वर्गफुट की दर से विज्ञापन कर लेता है। दीवारों पर लिखे विज्ञापन इस कर से मुक्त हैं। विगत वर्षों में विज्ञापन कर से राजस्व में वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 2006–2007 में इस मद से जो राजस्व प्राप्ति रु.30 लाख की थी, वह वर्ष 2010–11 में रु. 78 लाख हो गई। नीति में परिवर्तन किये जाने के

फलस्वरूप रायपुर नगर पालिक निगम को वर्ष 2012–13 में इस स्त्रोत से रु. दो करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है, जैसा कि **तालिका संख्या 16.3** में दिखाया गया है –

तालिका संख्या – 16.3

विज्ञापन शुल्क से आय वर्ष : 2012–13

(लाख रूपयों में)

क्र.	विवरण	राजस्व
1	ट्रैफिक बूथ	**23.20**
2	रोड डिवाइडर पर लगे विज्ञापन	**79.49**
3	यूनि पोल्स	**6.19**
4	नो पार्किंग बोर्ड	**5.45**
5	आवासीय भवनों की छत पर लगे बोर्ड/निजी होर्डिंग	**87.39**
6	आवासीय भवनों पर लगे लेड (इलेक्ट्रानिक) बोर्ड	**2.26**
	योग	**203.98**

आयोग की अनुशंसा है कि उपर्युक्त अच्छी तथा कंडिका संख्या 16.2 से 16.6 में यथा उल्लिखित विभिन्न संस्थानों की अच्छी प्रणालियों को संकलित करके राज्य के सभी नगरीय निकायों में प्रचारित किया जाये। राज्य के इन निकायों को भारत तथा अन्य देशों के स्थानीय निकायों के अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। राज्य नगरीय प्रशासन तथा व्यवस्था विकास संस्थान (S.I.U.G.D.) को इन अच्छी प्रणालियों, परम्पराओं के संकलन, अभिलेखन तथा नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उन्हें अपनाये जाने के लिये प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करना चाहिए। राज्य सरकार को इन अच्छी परम्पराओं को अपनाने के लिये नगरीय निकायों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

◆◆◆